(43)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—04/2020

1. सुखदेवसिंह पुत्र भजनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 12 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. मनजीतसिंह पुत्र भजनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 12 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. लखविन्द्रसिंह पुत्र भजनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 12 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

——प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) एवं भू—अभिलेख अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

——अप्रार्थीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णयः: **दिनांकः—03.02.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से तहसील अनूपगढ़ के चक 8 के बी का मुरब्बा नं.—34 पत्थर सं.—138/19 का 25 बीघा रकबा खातेदारी कृषि भूमि है जिसकी जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि मे आने जाने के लिए व कृषि उपज, कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है।प्रार्थीगण को अपनी उक्त कृषि भूमि में आवागमन के लिए यदि चिपता मुरब्बा नं.—8 पत्थर सं.—138/28 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 जिसमे पूर्व से ही रास्ता स्वीकृत है, मे से किला नम्बर 21ता25 मे से रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तब प्रार्थीगण एवं अन्य खेत पड़ौसियों को आवागमन के लिए सुविधा हो जायेगी।प्रार्थीगण अन्य विकल्प के रूप में अपने ही उक्त मुरब्बा के साथ चिपता मुरब्बा नं.—35 पत्थर नं.—138/27 जो कि रकबाराज है, के किला नं.—21ता25 से भी रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी सं—1 तहसीलदार/भू.अ.निरीक्षक अनूपगढ़ से मौका रिपोर्ट चाही गई। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के त[illegible]स सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र के तथ्यों को दोह[illegible] करने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि भू—अभि[illegible] की भूमि के कोई मार्ग [illegible]न नहीं होने एवं वांछित मार्ग अत्यान्तिक आवश्यकता का, [illegible]म व सुगम होने की रि[illegible] है एवं साथ ही भू—अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में वर्णित किया है कि आवेदक द्वारा आवागमन हेतु चक 13 पी के पत्थर नं.—138/28 के किला नं.— 1,10,11,20,21 में मे से दो—दो बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 11:51:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(4)

रास्ता पूर्व में स्वीकृत है तथा इसी मुरब्बा के किला नं.–21ता25 मे रास्ता चाहा गया है इससे आवेदक की आराजी के रास्ता सम्पर्क नहीं करेगा। जबकि वैकल्पिक तौर पर चाहे गये रास्ता जो कि चक 8 के बी के पत्थर नं.–138/27 के किला नं.–21ता25 मे दो–दो बिस्वा चाहा गया है। यह आवेदक की भूमि को सम्पर्क करता है। तथा यह भी है कि यहा पर रास्ता किला नं. –21ता23 में 8 से 10 फीट एवं किला नं.–24 एवं25 मे 4 से 5 फीट मौके पर चल रहा है जिसका नजरी नक्शा मे दर्शाया गया है। तथा वैकल्पिक तौर पर चक 8 के बी के पत्थर नं. –138/27 के किला नं.–21ता25 में से दो–दो बिस्वा रास्ता चाहा गया है वह मौके पर चालू भी है एवं निकटतम रास्ता है।

अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी सुखदेवसिंह की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत् रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुत्तम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को अन्य काश्तकार की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251"क" राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–6) विभाग के पत्रांक–प.3(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के तहत प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 8 के बी का मुरब्बा नं.–34 पत्थर सं.–138/19 का 25 बीघा रकबा खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्कता को परमावश्यक मानते हुए एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हो जाने के आधार पर चक 13 पी के चिपता मुरब्बा नं.–35 पत्थर नं.–138/27 के किला नं. –21ता25 में से दो–दो बीस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता की एवज में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थी भूमिधारक राज. सरकार जरिए तहसीलदार को भुगतान करने हेतु राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) खण्ड (ख) के तहत राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रदान किये जाते है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त इसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 11:51:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner